कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 74/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना – रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

भूमि बैनामा के नाम पर 34 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

01. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

वादी द्वारा थाना रानी की सराय पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा ग्राम अनौरा स्थित गाटा संख्या-71 की भूमि के संबंध में धोखाधड़ी की गई। भूमि बैनामा कराने के नाम पर वादी एवं उनके परिवारजनों से कुल ₹34,00,000/- बैंक खातों में स्थानांतरित कराए गए।

आरोप है कि अभियुक्तों ने दूसरी भूमि बैनामा करने का आश्वासन दिया, परंतु बाद में टालमटोल करते रहे। धनराशि वापस मांगने पर ₹28,90,000/- वापस किया गया, जबकि शेष ₹5,10,000/- एवं स्टाम्प/रजिस्ट्री मद में ₹1,40,000/- (कुल ₹6,50,000/-) वापस नहीं किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराही द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.02.2026 को समय करीब 12:35 बजे ग्राम अन्धौरी मार्ग स्थित बढ़या चट्टी से अभियुक्त रामवृक्ष पटेल पुत्र दूधनाथ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)

अभियुक्त द्वारा भूमि क्रय-विक्रय के नाम पर वादी को विश्वास में लिया गया। पहले से विवादित/अपूर्ण अभिलेखों वाली भूमि को वैध बताकर बैनामा कराने की प्रक्रिया शुरू कराई गई। इसके पश्चात वादी एवं उनके परिजनों से चरणबद्ध तरीके से बैंक खातों में बड़ी धनराशि ट्रांसफर कराई गई।

धन प्राप्त करने के बाद अभियुक्तों ने भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की तथा दूसरी भूमि देने का झूठा आश्वासन देकर समय व्यतीत करते रहे। जब वादी द्वारा धन वापसी की मांग की गई तो आंशिक धनराशि लौटाकर शेष धनराशि हड़प ली गई। इस प्रकार छल, कपट एवं विश्वासघात कर आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 375/2025 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

रामवृक्ष पटेल पुत्र दूधनाथ निवासी ग्राम अनौरा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ वर्तमान पता – ग्राम बढ़या, पोस्ट गन्धुवई, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 सुशील कुमार, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
2. का0 आत्मा यादव, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

मिशन शक्ति एवं साइबर क्राइम जागरूकता को लेकर ग्राम पंचायत ज़मीन पड़री भीमबर, थाना बिलरियागंज में संयुक्त चौपाल का आयोजन

थाना बिलरियागंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम ज़मीन पड़री भीमबर में मिशन शक्ति अभियान एवं साइबर क्राइम जागरूकता के अंतर्गत संयुक्त चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के आदेशानुसार तथा अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में, थानाध्यक्ष श्री सुनील कुमार दुबे के नेतृत्व एवं महिला प्रकोष्ठ प्रभारी श्री वकील सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
चौपाल के दौरान महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया गया। महिला मुख्य आरक्षी जानकी सिंह, महिला आरक्षी रंजू यादव, आरक्षी सर्वेश कुमार, वीरेंद्र कुमार सरोज एवं शिवम शर्मा द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री नंबरों की जानकारी देते हुए पंपलेट वितरित किए गए।
साइबर जागरूकता सत्र में साइबर अपराधों के नवीन तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित ग्रामीणों को विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया—अज्ञात कॉल/मैसेज से सावधानी, OTP साझा न करना, फर्जी लिंक से बचाव, सोशल मीडिया सुरक्षा, सुरक्षित डिजिटल भुगतान, फर्जी नौकरी/लोन ऑफर से सतर्कता, अनजान ऐप इंस्टॉल न करना तथा साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई।
कार्यक्रम के अंत में ग्रामवासियों से अपील की गई कि वे स्वयं सतर्क रहें तथा अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी महिला एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही तथा इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 23.02.2026
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.02.2026 को थाना बिलरियागंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया कि अभियुक्त शाकिब द्वारा नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा ले जाया गया था। तत्पश्चात पारिवारिक परिस्थितियों के बीच लड़की द्वारा आत्मघाती कदम उठा लिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 42/26 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 23.02.2026 को उ0नि0 रतन सिंह पटेल मय हमराह द्वारा क्षेत्र में चेकिंग/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर श्रीनगर सियरहा अंडरपास के पास से अभियुक्त शाकिब पुत्र मोहम्मद आसिफ निवासी पाती खुर्द थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब 09:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः–

01. मु0अ0सं0 42/26 धारा 108 बीएनएस थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

01. शाकिब पुत्र मोहम्मद आसिफ निवासी पाती खुर्द थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

01. उ0नि0 रतन सिंह पटेल, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़
02. का0 अतुल सिंह यादव, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़
03. का0 राकेश वर्मा, थाना बिलरियागंज, आजमगढ़

प्रेस-नोट

थाना – कोतवाली, जनपद – आजमगढ़

दिनांक – 23.02.2026

ब्लड सेंटर में घुसकर चिकित्साधिकारी से अभद्रता व धमकी देने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ब्लड सेंटर, मण्डलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में प्रभारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार व धमकी देने के प्रकरण में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

☐ घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 21.02.2026 को प्रातः लगभग 09:00 बजे ब्लड सेंटर, मण्डलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में तीन व्यक्तियों द्वारा प्रभारी अधिकारी श्री अनिल कुमार मौर्य के कक्ष में घुसकर विवाद, अभद्रता एवं धमकी दी गई। उक्त घटना की पुष्टि ब्लड सेंटर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों से हुई।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 67/26 धारा 115(2), 351(3), 333 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

☐ गिरफ्तारी का विवरण

उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह मय हमराह हे0का0 अजब नारायण सिंह व का0 अभय पासवान द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तगण को दिनांक 23.02.2026 को समय 15:45 बजे सदर अस्पताल परिसर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

☐ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. अंगद यादव पुत्र स्व0 इन्द्रदेव यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी पगरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
2. वीरा यादव पुत्र स्व0 बालकिशुन यादव, उम्र 43 वर्ष, निवासी कोढवा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
3. यशवन्त सिंह पुत्र साहब सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी उकरौड़ा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 67/26 धारा 115(2), 351(3), 333 बीएनएस थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने अथवा सरकारी सेवकों से दुर्व्यवहार करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 23.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए **अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 04.09.2014 को वादिनी मुकदमा हेमा कुमारी पुत्री स्व0 राज कुमार राम निवासी रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आमजगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से आला कत्ल अवैध शस्र बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 66/14 धारा- 3/25 आर्म्स Act थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 14 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.02.2026 को मा0 न्यायालय Spl SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को **10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ **थाना दीदारगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें** नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के **आरोप मे 02 अभियुक्तो** को **10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 25.04.2016 को वादी मुकदमा दिनेश पुत्र जिल्लू पासी निवासी अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र रामजीत पासी 2. सुभाष पुत्र जिया लाल पासी निवासीगण अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग भांजी को सोते समय मुह दबाकर चारपाई से उठाकर खेत मे ले जाकर जबरन दुष्कर्म करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना दीदागंज पर मु0अ0सं0-92/2016 धारा-376D,323 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक-23.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र रामजीत पासी 2. सुभाष पुत्र जिया लाल पासी निवासीगण अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्केक** को **10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 23.02.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा रोहित उर्फ कमलेश व सरजू राम को 25-25 हजार एवं डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना मेहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा रोहित उर्फ कमलेश व सरजू राम को 25-25 हजार एवं डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 31.08.2014 को वादिनी मुकदमा हेमा कुमारी पुत्री स्व0 राज कुमार राम निवासी रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आमजगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1. रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. सरजू राम पुत्र श्यामधारी 3. डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासीगण रोवापार थाना मेहनाजपुर** जनपद आमजगढ़ **के द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर मेरे भाई अर्जुन को गोली मारकर हत्या कर देना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 64/14 धारा- 302 भादवि व 3 (2) SC/ST Act थाना मेहनाजपुर पर पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 14 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 23.02.2026 को मा0 न्यायालय Spl SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. रोहित उर्फ कमलेश कुमार पुत्र स्व0 रामूराम निवासी विनेकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. सरजू राम पुत्र श्यामधारी 3. डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासीगण रोवापार थाना मेहनाजपुर जनपद आमजगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा रोहित उर्फ कमलेश व सरजू राम को 25-25 हजार एवं डम्पी सिंह उर्फ तेज प्रताप सिंह को 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**